भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1258
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः तमिलनाडु में पीएमएफबीवाई का कार्यनिष्पादन

1258. कुमारी सुधा आर.:
डॉ. थोल तिरुमावलवन:
डॉ. डी. रवि कुमार

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से लेकर आज तक प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या तथा एकत्रित प्रीमियम की कुल राशि तथा बीमा कंपनियों द्वारा संदत्त कुल फसल बीमा दावों का तमिलनाडु राज्य में वर्षवार, कंपनीवार तथा राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बीमा कंपनियों के विरुद्ध रिपोर्ट की गई अनियमितताओं, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) किसानों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने बीमा कंपनियों को हटाने तथा बीमा कंपनियों को बीच में लाए बिना सीधे फसल बीमा भुगतान करने हेतु एक आश्वासन आधारित मॉडल उपलब्ध कराने पर विचार किया है;

(ङ) क्या फसल बीमा क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा किसानों को दावों के भुगतान में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) तमिलनाडु राज्य में पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन में सरकार को मिली सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत तमिलनाडु में वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान बीमित किसानों के आवेदनों की संख्या, किसानों से एकत्र किये गये प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का वर्ष-वार, जिला-वार और कंपनी-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध- I, II और III** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): सभी प्रमुख कार्य जैसे चयन बीमा मॉडल, पारदर्शी टेंडरिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल की उपज/ फसल के नुकसान का आकलन, संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किया जा रहा है। योजना के उचित निष्पादन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियों को योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में परिभाषित किया गया है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान बीमा कंपनियों के विरुद्ध, दावों का भुगतान न करने और/या देरी से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की धनराशि प्रदान करने में विलंब, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं जिन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त रूप से निस्तारित किया गया है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित अन्य शिकायतों का निवारण करने के लिए योजना के संशोधित परिचालन दिशा-निर्देशों में उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को परिचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) को विकसित किया गया है। जिसके तहत सिंगल पैन इंडिया टोल फ्री नंबर 14447 को शुरू किया गया है और बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है जहाँ किसान अपनी शिकायतें/समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। केआरपीएच पर अब तक 4.9 लाख कॉल प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1.90 लाख मुद्दों से संबंधित ई-टिकटें सृजित की गईं और बीमा कंपनियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गईं। बाकी मुद्दे या तो सूचनात्मक थे या परामर्श के लिए थे। दर्ज किए गए 1.90 लाख ई-टिकट संबंधी मुद्दों में से 1.83 लाख (96%) का समाधान कर दिया गया है। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एकीकृत मंच पर हितधारकों की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

(घ): फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) से (छ): सरकार ने दावों के संवितरण समय में कमी सहित इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। जो निम्नानुसार हैं:

सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रचार-प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण को अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **नेशनल क्राप इंश्योरेंश पोर्टल (एनसीआईपी)** का विकास जैसे कदम उठाए हैं।

दावा संवितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक मॉड्यूल आरंभ किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान करने के लिए नेशनल क्राप इंश्योरेंश पोर्टल (एनसीआईपी) को पब्लिक फाईनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है।

इसके अलावा, पीएमएफबीवाई परिचालन दिशा-निर्देश स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करते हैं। योजना के तहत सभी शिकायतों को बेहतर ढंग से निस्तारित करने के लिए एक एकीकृत कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है जो केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में काम करेगी।

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में **सीसीई-एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भू-रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके। उद्देश्यपूर्ण फसल क्षति और नुकसान आकलन और पारदर्शिता हेतु निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी हाल ही में वर्ष 2023-24 से कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी दी गई है:

- **यस-टेक (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नॉलजी)** को रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में क्रमिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है जिसमें उपज अनुमान में 30% भार अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को शामिल किया गया है। खरीफ 2023 में 4 राज्यों में दावों का भुगतान यस-टेक के आधार पर किया गया है।
- जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने हेतु ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन्स (एडब्ल्यूएस) और ऑटोमैटिक रेन-गेजेज (एआरजी) के वर्तमान नेटवर्क को 5 गुना करने के

लिए **विंड्स (वेदर इन्फ़र्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम)** का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय में डेटा की इंटर-ऑपरेबिलिटी और शेयरिंग के साथ एडब्ल्यूएस और एआरजी के एक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में फीड किया जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करेगा।

यह विभाग, सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, वन-टू-वन मीटिंग और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कार्य की नियमित निगरानी कर रहा है।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँच सके।

योजना के तहत की गई विभिन्न पहलों के कारण वर्ष 2022-23 कवर किया गया सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) 501 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2023-24 में 19% से अधिक की वृद्धि के साथ 598 लाख हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2022-23 में नामांकित विशिष्ट किसानों की संख्या 3.17 करोड़ थी जो वर्ष 2023-24 में 25% से अधिक की वृद्धि के साथ 3.97 करोड़ हो गई। इसलिए, इस योजना के तहत **क्षेत्र और किसानों का कवरेज अब तक के उच्चतम स्तर** पर है। हाल ही में, **झारखंड और तेलंगाना** राज्यों ने भी इस योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है जिससे क्षेत्र और किसानों के कवरेज में वृद्धि की संभावना है। आज तक किसानों द्वारा भुगतान किए गए 32,440 करोड़ रुपये के प्रीमियम की तुलना में 1,63,519 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। अतः, किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की तुलना में 5 गुना अधिक दावों का भुगतान किया गया है।

यद्यपि, यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है तथापि गैर-ऋणी किसानों का कवरेज जो वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के तहत कुल कवरेज का 55% हो गया है यह योजना की स्वैच्छिक स्वीकार्यता/लोकप्रियता को दर्शाता है।

अनुबंध-I

पीएमएफबीवाई के तहत तमिलनाडु में वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक बीमित किसान आवेदनों की संख्या, किसानों से एकत्रित प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	नामांकित किसान आवेदन	किसानों से एकत्रित प्रीमियम (रुपये में)	भुगतान किए गए (रुपये में)
2018-19	25,45,790	1,70,01,27,385	26,51,42,50,453
2019-20	38,93,793	1,77,53,85,505	12,61,90,34,213
2020-21	58,87,616	1,76,07,64,378	26,48,47,36,868
2021-22	59,11,016	1,66,92,83,643	8,17,09,86,384
2022-23	61,37,588	1,61,85,50,424	9,09,53,98,210
2023-24	54,64,309	1,49,48,03,927	1,05,00,74,642
कुल	**2,98,40,112**	**10,01,89,15,261**	**83,93,44,80,769**

नोट: यह योजना वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित की गई है तथा विस्तृत डेटा वर्ष 2018-19 से उपलब्ध है। (जून 2024 तक का डेटा)

अनुबंध-II

पीएमएफबीवाई के तहत तमिलनाडु में वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक बीमित किसान आवेदनों की संख्या, किसानों से एकत्रित प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का जिला-वार विवरण

जिले का नाम	नामांकित किसान आवेदन	किसानों से एकत्रित प्रीमियम (रुपये में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये में)
अरियालुर	9,87,686	18,52,71,006	1,21,32,66,548
चेंगलापट्टु	71,240	2,49,24,523	11,34,96,676
कोयंबटूर	15,064	2,12,21,534	12,56,95,106
कुड्डलोर	20,63,603	57,14,98,652	4,50,16,45,920
धर्मपुरी	1,32,241	9,02,40,911	58,66,58,385
डिंडीगुल	1,01,729	5,15,25,917	39,50,32,753
एरोड़	36,446	10,48,32,852	10,30,10,661
कल्लाकुरुची	8,48,353	16,21,75,363	1,30,51,22,824
कांचीपुरम	2,68,144	10,97,51,790	98,90,11,976
कन्याकुमारी	28,270	1,15,30,847	5,77,21,391
करूर	1,18,175	7,63,48,299	53,70,43,711
कृष्णागिरी	29,153	1,07,07,060	7,84,30,106
मदुरै	3,06,493	12,23,03,811	57,65,24,950
माइलादुत्रयी	10,01,206	28,95,45,772	1,54,48,88,233
नागपट्टिनम	22,54,036	84,74,79,024	7,39,37,72,186
नमक्कल	4,15,327	16,50,83,791	2,32,82,98,392
पेरम्बलूर	4,90,462	14,81,31,247	63,17,35,677
पुदुक्कोट्टई	17,62,292	49,74,74,654	3,65,82,94,712
रामनाथपुरम	29,21,591	70,18,45,841	8,49,50,45,237
रानीपेट	1,85,059	6,44,46,659	35,98,34,008
सलेम	1,56,707	7,52,94,916	48,72,15,641
शिवगंगा	18,51,424	40,68,06,261	3,52,76,61,722
तेनकासी	4,56,662	9,63,97,240	66,46,63,917
तंजावुर	24,30,015	97,56,31,129	8,93,47,73,634
नीलगिरी	9,633	3,96,89,191	6,66,09,070
थेनी	10,516	2,39,98,574	7,26,50,701
तिरुवल्लुर	9,72,543	25,53,52,347	2,62,46,18,798
थिरुवरुर	27,93,802	1,25,02,06,239	12,10,19,57,565
थूथुकुडी	12,76,423	45,94,04,337	6,00,33,20,510
तिरुचिरापल्ली	7,61,648	29,86,38,917	2,01,14,34,783
तिरुनेलवेली	3,23,106	9,77,45,202	92,27,35,963
तिरुपथुर	30,936	1,02,10,139	10,84,99,253
तिरुपूर	48,023	4,42,00,465	25,76,89,731
तिरुवन्नामलाई	11,20,163	50,46,66,618	2,04,81,70,097
तूतीकोरिन	6,26,758	22,78,36,586	45,73,12,235
वेल्लोर	91,904	8,53,43,629	1,07,97,44,771
विल्लुपुरम	19,18,565	58,12,46,559	4,12,63,57,111
विरुधुनगर	9,24,714	32,99,07,359	3,44,45,35,816
कुल योग	**2,98,40,112**	**10,01,89,15,261**	**83,93,44,80,769**

नोट: यह योजना 2016-17 से लागू की गई है, वर्ष 2018-19 से विस्तृत डेटा उपलब्ध है। (जून 2024 तक का डेटा)

अनुबंध-III

पीएमएफबीवाई के तहत तमिलनाडु में वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, किसानों से एकत्रित प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का कंपनी-वार विवरण

कंपनी का नाम	नामांकित किसान आवेदन	किसानों से एकत्रित प्रीमियम (रुपये में)	भुगतान किए गए दावे (रुपए में)
एआईसी	1,36,68,380	4,58,21,67,986	39,24,16,04,596
बजाज अलायंस	12,56,480	29,79,75,301	1,36,39,75,825
चोलामंडलम एमएस	6,22,036	39,99,29,733	3,65,29,79,031
फ्यूचर जेनरल	2,48,185	7,88,13,946	18,63,77,828
एचडीएफसी एर्गो	19,42,727	45,77,05,379	2,42,08,16,387
इफको टोकियो	83,45,127	2,54,29,46,329	18,53,21,30,915
न्यू इंडिया	12,45,758	77,83,28,864	13,13,12,47,014
ओरिएंटल इंश्योरेंस	16,45,805	66,36,18,023	5,32,64,07,099
रिलायंस जनरल	5,17,020	14,75,63,889	1,80,47,729
यूनिवर्सल सोम्पो	3,48,594	6,98,65,811	6,08,94,344
कुल	**2,98,40,112**	**10,01,89,15,261**	**83,93,44,80,769**

नोट: यह योजना वर्ष 2016-17 से लागू की गई है, तथा विस्तृत डेटा वर्ष 2018-19 से उपलब्ध है। (जून 2024 तक का डेटा)

******